दिनांक 24.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 35/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना मुगलसराय

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध पिस्टल आदि बरामद**

दिनांक 24.07.2025 को थाना मुगलसराय, थाना अलीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–रोहित उर्फ राहुल 2–प्रियांशु उर्फ काजू 3–बृजेश उर्फ बाबा 4–श्याम उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 अवैध पिस्टल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मुगलसराय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुगलसराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित उर्फ राहुल निवासी सिकटिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2–प्रियांशु उर्फ काजू निवासी वार्ड नं0–16 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

3–बृजेश उर्फ बाबा निवासी सिकटिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

4–श्याम उर्फ कल्लू निवासी सिकटिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–04 अवैध पिस्टल आदि।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हयात सेन्टर के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–अवनीश 2–मयंक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अवनीश निवासी सिविल लाइन भुजौटी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

2–मयंक निवासी सिविल लाइन भुजौटी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, स्थाईपता हंसराजपुर थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 40 हजार 100 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23/24.07.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ बस अड्डे के पास से 04 अभियुक्तों 1–राकेश 2–सत्यम 3–शिवम 4–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 40 हजार 100 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि 07.07.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग

पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राकेश के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त शिवम के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त अमित के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राकेश निवासी स्याना अड्डा चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2–सत्यम निवासी आवास विकास द्वितीय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3–शिवम निवासी आवास विकास द्वितीय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

4–अमित निवासी डिप्टीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 40 हजार 100 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना पीजीआई</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 18 लाख रूपये कीमत के 162 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 पिकअप वाहन बरामद**

दिनांक 24.07.2025 को थाना पीजीआई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढलौना रेलवे क्रासिंग के पास से 02 अभियुक्तों 1–सोनू 2–सीताराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये कीमत के 162 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 पिकअप वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू निवासी ग्राम खुडियाला थाना दूदू जनपद जयपुर राजस्थान।

2—सीताराम निवासी ग्राम खुडियाला थाना दूदू जनपद जयपुर राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 18 लाख रूपये कीमत के 162 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 पिकअप वाहन।

- **जनपद गोरखपुर/थाना पिपराईच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना पिपराईच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—मनोज 2—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बागपत/थाना खेकड़ा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना खेकड़ा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बिट्टू को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना हरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना हरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राघवेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कुलदीप उर्फ मन्टू को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अछल्दा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अछल्दा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नन्दराम को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रवी 2–बीरेन्द्र उर्फ कालापूती 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बदैसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बदैसा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–भैरवदीन को धारा 302/34/201/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2–लाला को धारा 302/34/201

भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3–रमेश को धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 4–अभियुक्ता को धारा 498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 03 हजार 500 रूपये रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद जौनपुर/थाना सुजानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष क कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सुजानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376(1) भादवि सपठित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संजू को 20 वर्ष के कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————